उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि०-2-2018-700(253)/17

लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-3.2.3.4, 5.1, 12.3.1 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.1.7 में उपबन्धित, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, उक्त अनूसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा-प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

नीति के प्रस्तर	**प्रयोजन व अन्य विवरण**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या**
1	**2**	**3**	**4**
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4	विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय किये जाने पर वह एवं स्थापित की जाने वाली इकाईयों में से प्रत्येक प्रथम क्रेता छूट प्राप्त होंगे। विकासकर्ता को स्टाम्प शुल्क से छूट। स्थापित की जाने वाली इकाईयों के प्रत्येक प्रथम क्रेता को स्टाम्प शुल्क से छूट।	100 प्रतिशत 50 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 का प्रस्तर 5.1	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल में स्टाम्प शुल्क से छूट। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़ कर) में स्टाम्प शुल्क पर छूट।	100 प्रतिशत 75 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड(क) के अधीन हस्तांतरण तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपद में स्टाम्प शुल्क पर छूट।	50 प्रतिशत	अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 का प्रस्तर 12.3 (12.3.1)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/ विभिन्न रूप से योग्य उद्यम कर्ताओं की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए, अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।	20 प्रतिशत अधिकतम 100 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर 5.1.7	बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विनिधान एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रस्तर-3.2.3.4 के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक पार्को तथा सम्पदा की स्थापना हेतु प्रत्येक प्रथम क्रेता को (प्रतिबंधित उद्यमों को छोड़कर) स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त होगा।	100 प्रतिशत	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी अनुमन्य होगी यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

<u>स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-</u>

"पूर्वांचल" में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और बरेली राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि०-2-2018-700(454)/17, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12-02-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि०-2-2018-700(454)/17, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
12. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.04/2018/180/ 94-S.R.-2-2018-700 (476)/2017, Dated, 12 February, 2018

Notification
Order

No.-04/2018/180/94-S.R.-2-2018-700 (476)/2017
Lucknow Dated, 12 February, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purpose provided in paragraph 3.2.3.4, 5.1, 12.3.1 of the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017and paragraph 5.1.7 of Micro Small and Medium Enterprises Promotion Policy-2017, of the state as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Paragraph of the Policy	Purpose and other Detail	Extent of remission	Nature of Instrument and Article number of Schedule-1-B
1	2	3	4
Paragraph 3.2.3.4 of the Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2017	On the purchase of land by the developer and the first buyer of the unit to be established, stamp duty will be exempted. The exemption of stamp duty to developer The exemption of stamp duty to every first buyer of the unit to be established.	100% 50%	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.
Paragraph 5.1 of the Industrial Investment	The Stamp duty exemption in Bundelkhand & Poorvanchal.	100 %	Conveyance, Under clause

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

and Employment Promotion Policy, 2017	Stamp duty exemption in Madhyanchal& Paschimanchal (except Gautambuddhnagar & Ghaziabad districts) of the State. Stamp duty exemption in Gautambuddh nagar & Ghaziabad districts.	75% 50%	(a) of Article 23 and Lease under Article 35.
Paragraph 12.3 (12.3.1) of the Industrial Investment and Employment Promotion Policy, 2017	To promote industrial units with minimum 75% ownership of SC/ ST/ Women/ differently abled entrepreneurs additional Stamp duty will be exempted.	20% Maximum 100 %	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.
Paragraph 5.1.7 of Micro Small and Medium Enterprises Promotion policy-2017	In Bundelkhand, Purvanchal, Madhyanchal and Paschimanchal (Except Gautambudh Nagar, And Ghaziabad),- The Stamp duty will be exempted for the every first buyer for the establishment of industrial parks and estate by the private sector, (Excluding restricted enterprises) according to the para 3.2.3.4 of the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017	100 %	Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification :-

"Purvanchal" shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur. "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. "Paschimanchal" shall include the revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Meerut, Saharanpur and Bareilly.

By Order

Himanshu Kumar

Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।